



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3008]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 3008]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4114(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

और, उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेखांक संख्या सी-1(ई)/III/एफआर/931-0916, तारीख 26 सितम्बर, 2016, का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), केन्द्रीय खान आयोजना और डिजाइन संस्थान, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची - 834 001 या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वोक्त करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर क्षेत्र, पोस्ट ऑफिस जरीपटका, तहसील नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर- 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में -

- (i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा ; या
- (ii) अधिनियम की धारा 6 के अधीन उसकी धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा; अथवा
- (iii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा ।

अनुसूची

अमल्लामेटेड गोंडेगांव-घाटरोहना ओपनकास्ट खान (शेष क्षेत्र)

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक संख्या सी- I(ई)/III/एफआर/931-0916, तारीख 26 सितम्बर, 2016)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन (हेक्टेयर में)			कुल	टिप्पणी
					निजी	सरकारी	वन		
1.	गोंडेगांव	13	पारसिवनी	नागपुर	17.05	0.00	0.00	17.05	भाग

कुल : 17.05 हेक्टर (लगभग)

या 42.13 एकड़ (लगभग)

अधिसूचित किये जाने वाले सीमा क्षेत्र के, ग्राम गोंडेगांव के प्लॉट संख्यांक :

निजी भूमि :

60/1- 60/2- 60/3, 61/1ए-1 - 61/1ए-2- 61/1बी-1- 61/1बी-2- 61/2ए- 61/2बी- 61/2सी, 62, 63/1- 63/2- 63/3.

सीमा वर्णन :

क-ख-ग : रेखा ग्राम गोंडेगांव में आरंभिक बिन्दु 'क' से प्रारंभ होती है और बिन्दु 'ख' से होकर गोंडेगांव खुली खदान के लिए अधिग्रहित भूमि की सीमा से होती हुई बिन्दु 'ग' से मिलती है ।

ग - घ : रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा से होती हुई गोंडेगांव खुली खदान के लिए अधिग्रहित भूमि की सीमा से होती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है ।

घ-ड.-च : रेखा उत्तर पश्चिम दिशा से होती हुई गोंडेगांव खुली खदान के लिए अधिग्रहित भूमि की सीमा पर बिन्दु 'ड.' से होकर गुजरती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है ।

च - क : रेखा सड़क से लगकर उत्तर पूर्व दिशा से होती हुई ग्राम गोंडेगांव में आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/26/2016-पीआरआईडब्ल्यू-1]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2016

S.O. 4114(E).—Whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number C-I(E)/III/FR/931- 0916, dated the 26th September, 2016 , of the area described in the said Schedule can be inspected at the office of the Western Coalfields limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur– 440 001 (Maharashtra) or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi – 834 001 or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata – 700 001 or at the office of the District Collector, Nagpur (Maharashtra);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedule.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, -

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over the such land; or
- (ii) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or
- (iii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the Office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited, Nagpur Area, Post Office Jaripatka, Tahsil Nagpur, District Nagpur (Maharashtra) or General Manager (Land and Revenue), Western Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Amalgamated Gondegaon-Ghatrohana Opencast Mine (Balance Area)

Nagpur Area

District Nagpur (Maharashtra)

(Plan bearing number C-I(E)/III/FR/931- 0916, dated the 26th September, 2016)

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Description of land (in hectares)			Total	Ramark
					Tenancy	Gover- nment	Forest		
1.	Gondegaon	13	Parseoni	Nagpur	17.05	0.00	0.00	17.05	Part

Total area : 17.05 hectares (approximately)
or 42.13 acres (approximately)

Plot number within Boundary in village Gondegaon :

Tenancy Land :

60/1- 60/2- 60/3, 61/1A- 1 - 61/1A-2- 61/1B-1- 61/1B-2- 61/2A- 61/2B- 61/2C, 62, 63/1- 63/2- 63/3.

Boundary description :

- A-B-C : Line starts from Point 'A' in village Gondegaon passes through Point 'B' and meets at Point 'C' on boundary of the land already acquired for Gondegaon Opencast Mine.
- C – D : Line passes in South West direction along the boundary of land already acquired for Gondegaon Opencast Mine and meets at Point 'D'.
- D-E-F : Line passes in North West direction along the boundary of land already acquired for Gondegaon Opencast Mine, passes through Point 'E' and meets at Point 'F'.
- F – A : Line passes along the road in North East direction and meets at starting Point 'A' in village Gondegaon.

[F. No. 43015/26/2016-PRIW – I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.